

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर

टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या - 326/2024

बनान :

1. जसपालसिंह पुत्र दर्शनसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. सुखदेवसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जरनैलसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. चिन्तकौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह पत्नी बलविन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जैतो मण्डी फरीदकोट पंजाब।
4. चरणजीत कौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जैतो मण्डी फरीदकोट पंजाब।
5. जसवीर कौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह पत्नी बलवीर सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी देशुजोधा तहसील डबवाली जिला सिरसा।
6. कर्मजीत कौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह पत्नी मखनसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लीलेवाला तहसील व जिला बठिण्डा।
7. कर्मजीत कौर पुत्री जोगेन्द्रसिंह पत्नी रामसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी फतेहगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. बलदेव सिंह पुत्र दर्शनसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. परमजीत कौर पुत्री दर्शनसिंह पत्नी गुरजन्तसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धुक्कावाली तहसील व जिला सिरसा।
10. जसविन्द्र कौर पत्नी दर्शनसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा

:- वादी

2 अधिवक्ता करनैलसिंह

:- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 15/01/25



आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के अधिकारी वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि


क.चकनं० 4 केएचआर के खाता सं० 37/33 में कुल 1.771 है० में से वादी व प्रतिवादीसं० 8 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीसं० 1 को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीसं० 2 को 1/3 हिस्सा

ख.वादी जसपालसिंह व प्रतिवादी सं० 8 बलदेवसिंह को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी-चकनं० 3 केएचआर के खाता सं० 53/41 में अंकित कुल 1.012 है० में से दर्शनसिंह के 1/2 हिस्सा की आराजी।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 4 केएचआर के खाता सं० 37/33 में से जगीन्द्रसिंह का नाम व चकनं० 3 केएचआर के खाता सं० 53/41 में से दर्शनसिंह का कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.01.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्येन्द्रनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (राजस्व)
टिब्बी